न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन (करौली)

पीठासीन अधिकारी :— हेमराज गुर्जर (आरएएस)

प्रकरण संख्या:—17 / 2021 दायर दिनांक:—05.04.2021

जीसीएमएस नं. 2021 / 127

रमसी पुत्र मंगल आयु 43 साल जाति जाटव निवासी वजनिया का पुरा वार्ड न0 13 हिण्डौन सिटी जिला करौली

———प्रार्थी

बनाम

1. दी स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार तहसील हिण्डौन जिला करौली
2. जिला कलक्टर जिला करौली राज0

———अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136
राजस्थानभू—राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित—1.श्री पी एल गोयल वकील प्रार्थी
2.पैरोकार सरकार जरिये तहसीलदार हिण्डौन

निर्णय

दिनांक 19-11-24

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल आर एक्ट 1956 का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आराजी खसरा न0 315 रकबा 0.38 है0, 316 रकबा 0.21 है0, 317 रकबा 0.33 है0, 318 रकबा 0.15 है0, 320 रकबा 0.18 है0 किस्म बारानी—1 कुल खसरा 5 कुल रकबा 1.25 है0 वाके ग्राम चमरपुरा तन फुलवाडा तहसील हिण्डौन सिटी जिला करौली स्थित है में प्रार्थी का हिस्सा 1/8 दर्ज रिकॉर्ड है।

आराजी खसरा न0 319 रकबा 0.20 है0, 325 रकबा 0.34 है0, 326 रकबा 0.35 है0, 327 रकबा 0.35 है0, 329 रकबा 0.41 किस्म बारानी—1 कुल खसरा 5 कुल रकबा 1.65 है0 वाके ग्राम चमरपुरा तन फुलवाडा तहसील हिण्डौन स्थित है जिसमें प्रार्थी का हिस्सा 1/5 दर्ज रिकॉर्ड है।

वादी का नाम रमसी है और इसी नाम से उसे जाना एवं पहचाना जाता है तथा वादी का सभी दस्तावेजों यथा आधारकार्ड, परिवार [illegible] कार्ड तथा मतदाता पहचानपत्र में नाम रमसी पुत्र मंगल ही दर्ज है। [illegible] मुतजिक्रा मद न0 1 व 2 [illegible] के स्थान पर वादपत्र का नामान्तकरण खोले जा[illegible] कर दिया। जबकि रामसहाय पुत्र रामसहाय पुत्र मंगल दर्ज कर दिया जो कि [illegible] में कोई नहीं है। उक्त [illegible] मंगल नाम का व्यक्ति वजनिया का पुरा हिण्डौन [illegible] नामांतकरण की जानकारी वादी को नहीं हो सकी थी।

वादी ने दिनांक 20.08.2020 को किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने हेतु तहसील हिण्डौन से रेवेन्यु रिकॉर्ड प्राप्त किया तो प्रार्थी को उक्त गलत इंदाज की जानकारी हुई। वादी को

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.06.26 15:18:40 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

राजस्व रिकॉर्ड में स्वयं के नाम के स्थान पर रामसहाय गलत दर्ज हो जाने के कारण भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

प्रार्थना पत्र विरूद्ध अप्रार्थीगण पेश कर निवेदन किया है कि राजस्व रिकॉर्ड आराजीयात मुतजिका मद न0 1 व 2 वादपत्र में गलत इंद्राज रामसहाय पुत्र मंगल के स्थान पर वादी का सही नाम रमसी पुत्र मंगल दुरूस्त किया जावे व इस बाबत इंद्राज दुरूस्ती के आदेश तहसीलदार हिण्डौन को प्रदान करने का श्रम करें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से पेरोकार सरकार तहसीलदार हिण्डौन के द्वारा पत्रांक 5488 दिनांक 19.09.2024 जवाब न्यायालय हाजा में पेश हुआ जो निम्नानुसार है:–

1. बिन्दु संख्या 1 में वर्णित राजस्व अभिलेख/रिपोर्ट पटवारी के अनुसार स्वीकार है।
2. बिन्दु संख्या 2 में वर्णित राजस्व अभिलेख/रिपोर्ट पटवारी के अनुसार हिस्सा 1/8 स्वीकार है।
3. बिन्दु संख्या 3 के मुताबिक वादी ने दस्तावेज राशन कार्ड, आधार कार्ड, निर्वाचन विभाग का पहचान पत्र प्रस्तुत किये है जिनमें प्रार्थी का नाम रमसी दर्ज है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दावे से यह अवगत नहीं होता है कि विरासत का नामांतकरण गलत स्वीकार होने की इनको विलम्ब से जानकारी कब और कैसे हुई।
4. बिन्दु संख्या 4 का जबाब अपेक्षित नहीं है।
5. बिन्दु संख्या 5 में दर्ज विवरण स्वीकार नहीं है क्योंकि वादी द्वारा चाहा गया अनुतोष का अधिकार सक्षम न्यायालय को है, राजस्व कार्मिकों को नहीं है।
6. बिन्दु संख्या 6 का जबाब अपेक्षित नहीं है।
7. बिन्दु संख्या 7 का जबाब अपेक्षित नहीं है।
8. बिन्दु संख्या 8 लगा0 10 कानूनी है।

प्रकरण में मुताबिक रिपोर्ट आईएलआर खेडा व पटवारी हल्का फुलवाडा बिन्दु संख्या 1 में दर्ज अंकित भूमि भू प्रबंध विभाग द्वारा तैयार खतौनी बंदोबस्त से ही इंद्राज चले आ रहे है।

बिन्दु संख्या 2 में वर्णित आराजी जरिये विक्रय पत्र दिनांक 006.09.1999 एवं 08.07.1999 को अर्जित की गयी है। उसी के अनुसार राजस्व अभिलेखों में इंद्राज चला आ रहा है।

जबाब शामिल पत्रावली किया गया।

वकील प्रार्थी ने दस्तावेजी सबूत में नकल जमाबन्दी संवत 2070–73 खाता संख्या 17 , जमाबन्दी संवत 2070–73 खाता संख्या [illegible] मौके ग्राम चमरपुरा तहसील हिण्डौन, मिलान क्षेत्रफल, नकल विधिक नोटिस, अ[illegible] डाक रसीद, विधिक नोटिस, नकल भामाशाह रमसी, नकल आधार कार्ड, नकल पहचान पत्र, नकल राशनकार्ड की प्रति पेश की गई हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.06.26 15:18:40 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

वकील प्रार्थी तथा अप्रार्थी की ओर से पेरोकार सरकार तहसीलदार हिण्डौन उपस्थित। वकील प्रार्थी तथा अप्रार्थी की ओर से पेरोकार सरकार तहसीलदार हिण्डौन की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया है और प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया है।

वकील प्रार्थी तथा अप्रार्थी की ओर से पेरोकार सरकार तहसीलदार हिण्डौन की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड में वकील प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी सबूत में नकल जमाबन्दी संवत 2070–73 खाता संख्या 17 , जमाबन्दी संवत 2070–73 खाता संख्या 63 वाके ग्राम चमरपुरा तहसील हिण्डौन में प्रार्थी खातेदार काश्तकार दर्ज रिकॉर्ड है। मिलान क्षेत्रफल, नकल विधिक नोटिस, असल डाक रसीद, विधिक नोटिस, नकल भामाशाह रमसी, नकल आधार कार्ड, नकल पहचान पत्र, नकल राशनकार्ड इत्यादि से हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि उपलब्ध दस्तावेजी रिकॉर्ड व मौखिक बहस के आधार पर नकल जमाबन्दी संवत 2070–73 खाता संख्या 17 , जमाबन्दी संवत 2070–73 खाता संख्या 63 वाके ग्राम चमरपुरा तहसील हिण्डौन में रामसहाय के स्थान पर रमसी राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी में प्रार्थी के हक में दुरूस्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत स्वीकार किया जाता है तथा जमाबन्दी संवत 2070–73 खाता संख्या 17 , जमाबन्दी संवत 2070–73 खाता संख्या 63 वाके ग्राम चमरपुरा तहसील हिण्डौन में रामसहाय के स्थान पर रमसी राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी में दुरूस्त किया जाता है, साथ ही राजस्व रिकॉर्ड में उक्त दुरूस्ती का अमल करने हेतु पृथक से तहसीलदार सूरौठ को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 19-11-24 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(हेमराज गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन

Signature Not Verified

Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.06.26 15:18:40 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner